



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2010/पौष 28, 1931

No. 32]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2010/PAUSA 28, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 38(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 20-10-2009 में सा.का.नि. 769(अ) के अंतर्गत प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की दिनांक 20-10-2009 की अधिसूचना में लाईन 12 में “विनियम 2009” को “संशोधित विनियम, 2009” पढ़ा जाए।

[फा. सं. एस-प्रशा./II/8/2009-खण्ड-1]

रतन पी. वातल, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th January, 2010

G.S.R. 38(E).—In the notification of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board dated 20-10-2009 published under G.S.R. 769(E) in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 20-10-2009, in line 12, for “Regulations, 2009” read “Amendment Regulations, 2009”.

[F. No. S-Admn./II/8/2009-Vol-I]

RATAN P. WATAL, Secy.